भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1160

दिनांक 11 फरवरी,2022 को उत्तर दिए जाने के लिए

चीनी के निर्यात संबंधी राजसहायता

1160 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या *वाणिज्य* और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीनी के निर्यात संबंधी राजसहायता के संबंध में ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला द्वारा विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में दर्ज की गई शिकायत के संबंध में दिसम्बर, 2021 को भारत एक विवादित मामले में हार गया, जिसमें इन देशों ने यह आरोप लगाया था कि भारत ने गन्ना कृषकों को निर्यात संबंधी राजसहायता प्रदान करके कृषि समझौते (एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर) के अनुच्छेद 7.2 (ख) के तहत अपने बाध्यकारी दायित्वों का उल्लंघन किया है, यदि हाँ, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है और यह आरोप लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 2021 में भारत की व्यापार नीति की डब्ल्यूटीओ समीक्षा में यह बात सामने आयी कि विगत आठ वर्षों से कृषि निर्यात संबंधी राजसहायता की घोषणा नहीं की गई है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ग्वाटेमाला ने भारत की इसके चीनी और गन्ना क्षेत्र के लिए कतिपय स्कीम को चुनौती देते हुए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के समक्ष एक विवाद दायर किया। तदनुसार, डब्ल्यूटीओ में एक विवाद पैनल की स्थापना की गई, जिसने 14 दिसंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट परिचालित की। भारत ने डब्ल्यूटीओ में पैनल की रिपोर्ट के खिलाफ इस आधार पर अपील की है कि पैनल के निष्कर्ष अविवेचित, तर्क और तर्काधार को नष्ट करने वाले हैं और डब्ल्यूटीओ नियमों द्वारा समर्थित नहीं हैं।

(ख): वाणिज्य विभाग विभिन्न स्रोतों से एकत्र की गई जानकारी पर उचित परिश्रम करने के बाद डब्ल्यूटीओ को अधिसूचनाएं प्रस्तुत करता है। निर्यात सब्सिडी अधिसूचना के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श की आवश्यकता होती है।

*****